

FB- Rampur Police

Twitter- @rampurpolice

थाना स्वार :पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त गिरफ्तार एवम एक रास प्रतिबंधित पशु, एक अदद मो0सा0, एक अदद तमंचा व पशु काटने के उपकरण बरामद

अज्ञात अभियुक्तों द्वारा कोसी नदी के किनारे ग्राम धनौरी के पास एक बछड़े का क्रूरतापूर्वक वध कर देने तथा बछड़े के अवशेष मौके पर ही पड़े होने के संबंध में दिनांक 17.09.2023 को तहरीर सूचना के आधार पर थाना स्वार पर मु0अ0सं0 328/23 धारा 3/5/8 सी0एस0 एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री राहुल यादव के सुपर्द की गयी। तथा अभियुक्तों की तलाश एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तुरन्त फोर्स को मौके पर रवाना किया गया, परन्तु अभियुक्तों के सम्बन्ध में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी। दिनांक 18.09.2023 को उ0नि0 श्री राहुल यादव मय उ0नि0 श्री मुकेश सिंह हमराही हे0का0 221 अनिल कुमार, हे0का0 420 नितिन कुमार, का0 301 अंकुल कुमार, का0 1853 अमित कुमार, का0 346 धर्मेन्द्र सिंह वास्ते देखरेख इलाका चैकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति, तलाश वांछित व गस्त में मामूर थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि वाहद ग्राम फाजलपुर जंगल तिराहे पर कुछ व्यक्ति एक प्रतिबंधित पशु का वध करने के उद्देश्य से बांधे हुए हैं तथा उनके पास एक मोटर साइकिल भी खड़ी है। उ0नि0 राहुल यादव अपनी टीम के साथ ग्राम फाजलपुर तिराहे पर पहुंचे तथा उ0नि0 राहुल यादव द्वारा अपनी तथा अपनी टीम के आत्मरक्षार्थ उक्त व्यक्तियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो पुलिस ने तुम लोगो को घेर लिया है। तथा उ0नि0 राहुल यादव द्वारा मौका पाकर इमदाद हेतु घटना की सूचना जरिये दूरभाष थाने पर दी गयी। उक्त लोगो ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया तभी उ0नि0 राहुल यादव व उ0नि0 मुकेश सिंह द्वारा अपने तथा अपनी टीम के आत्मरक्षार्थ हेतु जबाबी फायरिंग की गयी। जिसमें एक अभियुक्त की दाहिनी टांग में गोली लग गई और वह गिर गया है। अन्य तीन व्यक्ति जो अंधेरे का लाभ उठाते हुए फायरिंग करते हुए भाग गये। मौके पर ही घायल अभि0 ने पूछने पर अपना नाम लईक पुत्र अहमद जान नि0 नई बस्ती मौ0 चक स्वार कस्बा व थाना स्वार जिला रामपुर बताया तथा तीन व्यक्ति जो अंधेरे का लाभ उठाते हुए फायरिंग करते हुए भाग गये, उनके नाम 1. लईक पुत्र रहीस नि0 मौ0 स्वार खास कस्बा व थाना स्वार जिला रामपुर 2. नावेद पुत्र सलीम नि0 अगलगा रोड मौ0 रसूलपुर थाना स्वार जिला रामपुर 3. इरफान उर्फ पताला पुत्र वाहिद नि0 रसूलपुर कस्बा व थाना स्वार जिला रामपुर बताये। अभि0 ने पूछताछ पर दिनांक 16.09.2023 को ग्राम धनौरी कोसी नदी के किनारे हुयी गौकशी की घटना में स्वयं एवं 1. लईक पुत्र रहीस नि0 मौ0 स्वार खास कस्बा व थाना स्वार जिला रामपुर 2. नावेद पुत्र सलीम नि0 अगलगा रोड मौ0 रसूलपुर थाना स्वार जिला रामपुर 3. बाबू उर्फ लगंडा पुत्र सलीम नि0 अगलगा रोड मौहल्ला रसूलपुर थाना स्वार जनपद रामपुर का संलिप्त होना बताया। घायल अभियुक्त के मानव जीवन को ध्यान में रखते हुए इलाज हेतु सीएचसी स्वार लाया गया। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना स्वार पर मु0अ0सं0 330/23 धारा 34,307 भा0द0वि0 व 3/5क/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार/घायल अभि0 का विवरण

1. लईक पुत्र अहमद जान नि0 नई बस्ती मौ0 चक स्वार कस्बा व थाना स्वार जिला रामपुर

फरार हुये अभियुक्तों का विवरण

1. लईक पुत्र रहीस नि0 मौ0 स्वार खास कस्बा व थाना स्वार जिला रामपुर

2. नावेद पुत्र सलीम नि0 अगलगा रोड मौ0 रसूलपुर थाना स्वार जिला रामपुर

3. इरफान उर्फ पताला पुत्र वाहिद नि0 रसूलपुर कस्बा व थाना स्वार जिला रामपुर

बरामदगी का विवरण

1. एक रास प्रतिबंधित पशु
2. एक अदद मोसा होण्डा हंक रजि नं UP15AE-0766
3. एक अदद तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 315 बोर
4. पशु काटने के उपकरण

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गण

लईक पुत्र अहमदजान निवासी नई बस्ती मौ चक स्वार थाना स्वार रामपुर का आपराधिक इतिहास

1. मुअसं 328/23 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधि
2. मुअसं 330/23 धारा 34,307 भादवि व 3/5क/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधि व 3/25 आर्म्स एक्ट

लईक पुत्र रहीस नि मौ स्वार खास कस्बा व थाना स्वार रामपुर का आपराधिक इतिहास

1. मुअसं 328/23 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधि
2. मुअसं 330/23 धारा 34,307 भादवि व 3/5क/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधि व 3/25 आर्म्स एक्ट

नावेद पुत्र सलीम निवासी अगलगा रोड मौ रसूलपुर थाना स्वार रामपुर का आपराधिक इतिहास

1. मुअसं 251/23 धारा 34,307 भादवि व 3/5क/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधि व 3/25 आर्म्स एक्ट
2. मुअसं 328/23 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधि
3. मुअसं 330/23 धारा 34,307 भादवि व 3/5क/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधि व 3/25 आर्म्स एक्ट

इरफान उर्फ पताला पुत्र बाहिद निवासी मौ रसूलपुर थाना स्वार रामपुर (एचएस नं 196 ए थाना स्वार) का आपराधिक इतिहास

1. मुअसं 586/15 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधि
2. मुअसं 608/15 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधि

- 3.मु0अ0सं0 109/16 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधि0
- 4.मु0अ0सं0 112/16धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधि0
- 5.मु0अ0सं0 160/16 धारा 110जी सीआरपीसी
- 6.मु0अ0सं0 350/19धारा 3/5/8 सीएस एक्ट
- 7.मु0अ0सं0 338/22 धारा 11 पशु क्रूरता अधि0
- 8.मु0अ0सं0 330/23 धारा 34,307 भा0द0वि0 व 3/5क/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट

बाबू उर्फ लंगडा पुत्र सलीम निवासी अगलगा रोड मौ0 रसूलपुर थाना स्वार जनपद रामपुर का आपराधिक इतिहास

- 1.मु0अ0सं0 251/23 धारा 34,307 भा0द0वि0 व 3/5क/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट
- 2.मु0अ0सं0 328/23 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधि0
- 3.मु0अ0सं0 330/23 धारा 34,307 भा0द0वि0 व 3/5क/8 सीएसएक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1.उ0नि0 श्री राहुल यादव
- 2.उ0नि0 श्री मुकेश सिंह
- 3.है0का0 221 अनिल कुमार
- 4.है0का0 420 नितिन कुमार
- 5.का0 301 अंकुल कुमार
- 6.का0 1853अमित कुमार
- 7.का0 346 धर्मेन्द्र सिंह